रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 2001/माघ 17, 1922

No. 29] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 2001/MAGHA 17, 1922

IndiaCode

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2001

सं. 11041/26/2000-प्रशासन.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 (1988 का 68), की धारा 35 की धारा 7 के साथ पढ़ते हुए तथा इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों की विरचना करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. इन विनियमों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य संव्यवहार संशोधन) विनियम, 2001 कहा जायेगा।

2. ये 3 अगस्त, 2000 से प्रवृत्त होंगे।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य संव्यवहार विनियम, 1997) का विनियम 4, 3 अगस्त, 2000 से निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होगा।

4. "प्राधिकरण की कोई बैठक तब तक वैध अथवा मान्य नहीं होगी जब तक उसके कुल सदस्यों में से दो तिहाई सदस्य और अंशकालिक सदस्यों में से तीन चौथाई सदस्य भाग न लें तथा कार्यसूची की मदें जिन पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है, बैठक आयोजित होने से कम से कम सात दिन पहले परिचालित न की गई हों।"

[सं. विज्ञापन-III/IV/असा./122/2K]

हरदीपक सिंह, सदस्य (वित्त एवं प्रशासन)

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2001

No. 11041/26/2000-Admn.—In exercise of the powers conferred by section 35 read with section 7 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement :

1. These regulations may be called the National Highways Authority of India (Transaction of Business Amendment) Regulations, 2001.

2. They shall come into force on 3rd August, 2000.

Regulation No. 4 of the National Highways Authority of India (Transaction of Business Regulations, 1997) shall be substituted as under w.e.f. the 3rd August, 2000.

4. "No meeting of the Authority is to be considered legal and valid unless attended by two third of total members and three fourth of the part-time members and the Agenda papers for decision required should have been circulated at least 7 days before the scheduled meeting of the Authority."

[No. ADVT-III/IV/Exty./122/2K]

HARDEEPAK SINGH, Member (F&A)

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2001.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च , 1997

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 1997

सं. भा. रा. रा. प्रा./12011/ 2 /95 -प्रशासनः— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा- 7 के साथ पठित धारा-35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः**
 1. ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम 1997 कहलायेंगे।
 2. ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं:**

 इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
 - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) है।
 - (ख) '' प्राधिकरण'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है।
 - (ग) ''अध्यक्ष'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष से है।
 - (घ) ''सदस्य'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य से है और इसमें अध्यक्ष शामिल है।
3. **प्राधिकरण की बैठकें:**
 1. प्राधिकरण की सामान्य बैठकें तीन माह में कम से कम एक बार होंगी । परन्तु अध्यक्ष, स्वयं या कम से कम दो सदस्यों के लिखित अनुरोध पर तत्काल स्वरूप के किसी विशेष मुद्दे पर विचार करने के लिए प्राधिकरण की विशेष बैठक बुला सकते हैं।
 2. अध्यक्ष कार्यसूची, टिप्पणियों सहित प्रत्येक सामान्य बैठक की सूचना परिचालित करेंगें ताकि यह ऐसी बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व सदस्यों तक पहुंच जाए।
 3. उप-विनियम (1) के परंतुक में निर्दिष्ट अनुरोध के प्राप्त होने पर अध्यक्ष विशेष बैठक के लिए तारीख निर्धारित करेंगे । ऐसी तारीख सूचना दिए जाने की तारीख से तीन दिन के अन्दर की होगी और इस तारीख से कम से कम 24 घंटे पूर्व बैठक के लिए कार्यसूची सहित सूचना दे दी जाएगी।
 4. प्राधिकरण की सभी बैठकों की सूचना सदस्यों के कार्यालय के पते के साथ-साथ उनके निवास स्थान के पते पर भी दी जाएगी।
4. **कोरमः**
 1. प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम चार से कम का नहीं होगा।
 2. यदि किसी समय बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या उपर्युक्त उप-खण्ड (1) में निर्दिष्ट संख्या से कम है, तो अध्यक्षता करने वाला संदस्य अन्य सदस्यों को बैठक की तारीख, जो स्थगित बैठक से 24 घंटे पूर्व नहीं होगी, समय और स्थान की सूचना देने के बाद मूल बैठक की तारीख से तीन दिन से अनधिक अवधि के लिए स्थगित करेगा और ऐसी स्थगित बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के लिए यह विधि संगत होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना मूल बैठक में सम्पादित किए जाने वाले अभीष्ट कार्य का निपटान करे।
5. **बैठकों का संचालनः**
 1. प्राधिकरण की सामान्य बैठक में कार्य निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा अर्थात् :
 - (क) पिछली सामान्य बैठक और किसी विशेष बैठक का कार्यवृत्त पढ़ा जाएगा और उसकी पुष्टि की जाएगी,
 - (ख) विनियम-7 के अधीन परिचालन द्वारा लिए गए प्राधिकरण के निर्णय की पुष्टि,
 - (ग) पिछली बैठक में स्थगित किए गए कार्य पर विचार किया जाना,
 - (घ) इसके पश्चात् कार्यसूची में शामिल विषयों पर विचार किया जाएगा,
 - (ड.) अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मामले पर भी विचार किया जा सकता है, परंतु अध्यक्ष या ोठासीन अधिकारी अपने विवेक से विषय क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
 2. विशेष बैठक में जिस कार्य के लिए विशेष बैठक बुलाई गई है केवल उसी पर विचार किया जाएगा।
6. **बैठकों का कार्यवृत्त :**
 1. अध्यक्ष एक कार्यवृत्त पुस्तिका के रख-रखाव की व्यवस्था करेंगे जिसमें बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम सहित प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही दर्ज की जायेगी।

2. कार्यवृत्त पुस्तिका प्राधिकरण के कार्यालय में रखी जाएगी और उपयुक्त समय पर बिना किसी भुगतान के किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी।

7. कागजातों के परिचालन द्वारा कार्य निष्पादन :

1. विनियम 3 में किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष की राय में किसी मामले पर प्राधिकरण द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वह यह निदेश दे सकते हैं कि कागजों को परिचालित करके उस पर प्राधिकरण का निर्णय प्राप्त किया जाए।

2. यदि प्राधिकरण के सदस्यों का बहुमत मामले का अनुमोदन करता है, तो मामले को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समझ जाएगा।

3. इस विनियम के अधीन लिया गया कोई निर्णय पुष्टि के लिए प्राधिकरण की अगली सामान्य बैठक में रखा जाएगा।

8. प्राधिकरण की सामान्य बैठक में विचार किए जाने वाले मामले :

प्राधिकरण निम्नलिखित सभी या किसी मामले पर सामान्य बैठक में विचार करेगा और निर्णय लेगा, अर्थात् :

(क) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक संविदा करने के लिए निर्णय लेना,

(ख) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसमें निहित अथवा सौंपे गए अन्य राजमार्ग को विकसित करने, उसका रख-रखाव करने और उसकी व्यवस्था करने सम्बन्धी अपने कार्यों के निर्वहन के बारे में कोई निर्णय लेना,

(ग) अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निधि के उपयोग से संबंधित कोई निर्णय,

(घ) केन्द्रीय सरकार को भेजे जाने से पूर्व अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तावों की जांच,

(ङ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निधियों (जिसमें कोई प्रारक्षित निधि शामिल है) के निवेश से संबंधित या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य विषय से संबंधित कोई निर्णय,

(च) अधिनियम की धारा 21 के अधीन प्राधिकरण से उधार लेने की शक्ति का प्रयोग,

(छ) अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना,

(ज) प्राधिकरण के लेखा परीक्षित लेखे और उस पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना,

(झ) अधिनियम की धारा 25 के अधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन,

(ञ) अधिनियम की धारा 30 के अधीन यथापेक्षित किसी भूमि या परिसर में किसी व्यक्ति के प्रवेश को प्राधिकृत करना,

(ट) विनियमों को बनाने या उनमें संशोधन के लिए अधिनियम की धारा 35 के अधीन विहित शक्तियों का प्रयोग करना और इसकी प्रतियां संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजना।

9. कुछ एक मामलों में सदस्य बैठकों में भाग नहीं लेंगे :

ऐसा सदस्य जिसका प्राधिकरण की बैठक में विचार के लिए आए किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन संबंधी हित होता है वह उस मामले के संबंध में प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेगा।

श्रीमती नीलम नाथ, सदस्य (वित्त एवं प्रशासन)

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 11the March, 1997

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (TRANSACTION OF BUSINESS) REGULATIONS, 1997

No. NHAR/12011/2/95-Admn.—In exercise of the power conferred by section 35 read with section 7 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement :**

(1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Transaction of Business) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions :**

In these regulations, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988);

(b) "Authority" means the National Highways Authority of India constituted under section 3 of the Act;

(c) "Chairman" means the Chairman appointed by the Central Government under section 3 of the Act;

(d) "Member" means a Member of the Authority appointed under section 3 of the Act and includes the Chair man.

3. **Meetings of the Authority :**

(1) Ordinary meetings of the Authority shall be held atleast once in three months.

Provided that Chairman by himself or on a request in writing made by at least two Members may arrange to convene a special meeting of the Authority to consider any special issue of an immediate nature.

(2) The Chairman shall cause to circulate the notice of every ordinary meeting along with the agenda notes so as to reach the Members at least seven days before the date fixed for such meeting.

(3) On receipt of a request referred to in the proviso to sub regulation (1), the Chairman shall fix a date for the special meeting, such date not being later than three days from the date of the notice and cause to be sent notices for such meeting alongwith the agenda at least twenty-four hours before such date.

(4) Notice for all meetings of the Authority may be served upon a member by sending them to their official and also to their residential addresses.

4. **Quorum :**

(1) The quorum for every meeting of the Authority shall not be less than four.

(2) If at any time, the number of Members present at a meeting is less than the number specified in sub-clause (1) above, the Member presiding shall adjourn the meeting to a date not later than three days from the date of such meeting after informing the Members of the date not earlier than 24 hours, time and place of the adjourned meeting to dispose of the business intended to be presented at the original meeting irrespective of the number of members present.

5. **Conduct of meetings :**

(1) At an ordinary meeting of the Authority, business shall be conducted in the following order, namely :

(a) the minutes of the previous ordinary meeting and any special meeting held shall be read and confirmed;

(b) confirmation of decision taken by the Authority by circulation under regulation 7;

(c) the business posponed at the previous meeting shall then be considered;

(d) subject included in the agenda shall thereafter be considered;

(e) any other matter may also be considered with the permission of the Chair.

Provided that the Chairman or, the Presiding Officer may at his discretion, change the order of business.

(2) At a special meeting, the business or the business for which the special meeting has been called shall only be considered.

6. **Minutes of meetings :**

(1) The Chairman shall cause to be maintained a Minute Book recording therein the proceedings of every meeting of the Authority along with the names of the Members present thereat.

(2) The Minute Book shall be kept in the Office of the Authority and be open for inspection of any Member without payment at all reasonable times.

7. **Transaction of business by circulation of papers :**

(1) Notwithstanding anything contained in regulation 3, if in the opinion of the Chairman, any matter requires urgent attention of the Authority, he may direct that the decision of the Authority thereon may be obtained by circulation of papers.

(2) If the decision of majority of Members of the Authority indicates approval thereon, the matter may be deemed to have been approved by the Authority.

(3) Any decision taken under this regulation shall be e placed before the next ordinary meeting of the Authority for confirmation.

8. Matters to be considered in an ordinary meeting of the Authority :

The Authority shall consider and take a decision in an ordinary meeting on all or any of the following matters, namely:

(a) Any decision in connnection, with entering into any contract necessary for the discharge of its functions under the Act;

(b) Any decision in discharge of its functions to develop, maintain and manage any national highway or any other highway vested in or entrusted to it;

(c) Any decision relating to the utilisation of the National Highways Authority of India Fund constituted under section 18 of the Act;

(d) Examination of the budget proposals for the next financial year before it is forwarded to the Central Government;

(e) Any decision relating to investment of funds (including any reserve fund) in the securities of the Central Government or any other manner as may be prescribed by the Central Government;

(f) Exercise of the borrowing powers of the Authority under section 21 of the Act;

(g) Preparation of the Annual Report of the Authority under section 22 of the Act;

(h) Consideration of the audited accounts of the Authority and the auditor's report thereon;

(i) Delegation of powers of the Authority to the Chairman or any Member or to any officer of the Authority, under section 25 of the Act;

(j) Authorising any person to enter upon any land or premises as required under section 30 of the Act;

(k) Exercise of powers under section 35 of the Act to make or to amend regulations and forwarding copies of the same to the Central Government for being laid before the Parliament.

9. Member not to participate in meetings in certain cases :

Any Member who has any direct or indirect pecuniary interest in any matter coming up for consideration at a meeting of the Authority shall not take any part in any deliberation or decision of the Authority with respect to that matter.

MRS. NEELAM NATH, Member (F & A)

723 GI/97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997